>

Title: Motion for election of 20 members from Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Motion Adopted).

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

" कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ख के उपनियम(1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

MR. SPEAKER : The question is :

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of rule 331B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, twenty members from amongst themselves to serve as members of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term beginning on the 1st May, 2008 and ending on the 30th April, 2009."

The motion was adopted.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

" कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

MR. SPEAKER : The question is :

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate ten members from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term beginning on the 1st May, 2008 and ending on the 30th April, 2009 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

The motion was adopted.

12.12 hrs.